प्रेस नोट

जनपद-कौशाम्बी　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 25-10-2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले जनपद कौशाम्बी से 04 तस्कर गिरफ्तार, 170 किलोग्राम गांजा (अनुमानित मूल्य लगभग 35 लाख) बरामद।

दिनांकः– 25.10.2020 को जनपद कौशाम्बी पुलिस को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 04 तस्करों को 170 किलो ग्राम गांजा (अनुमानित मूल्य लगभग 35 लाख) सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1- शिवबोध मिश्रा उर्फ शिबू पुत्र श्याम निवासी बसुहार थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।
2- सूरज पाल सोनी पुत्र महावीर निवासी तिल्हापुर मोड़ पेरई थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी
3- विजय केशरवानी पुत्र मेवालाल निवासी इचौली थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी
4- संजय केशरवानी पुत्र मेवालाल निवासी इचौली थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

➢ गिरफ्तार अभियुक्तों से कुल बरामदगी–

1. 170 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा (अनुमानित मूल्य लगभग 35 लाख)
2. 01 अदद स्विफ्ट डिजायर कार यू0पी0–73 एल 0859
3. 02 अद्द मोबाईल

➢ गिरफ्तारी का दिनांक व स्थानः–

दिनांकः 25.10.2020, जनपद कौशाम्बी के थाना महेवाघाट क्षेत्रान्तर्गत शाहपुर पॉवर हाऊस के पास से गिरफ्तार किया गया।

➢ संक्षिप्त विवरणः–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कौशाम्बी द्वारा जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों एवं तस्करों के विरूद्ध सक्रिय होकर ठोस कार्यवाही करने के दिशा निर्देश प्राप्त होने के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्राधिकारी मंझनपुर/क्षेत्राधिकारी क्राइम को इस बावत आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इस क्रम में प्रभारी निरीक्षक महेवाघाट एवं स्वॉट टीम के संयुक्त प्रयास के क्रम में मुखबिर की सूचना पर शाहपुर पॉवर हाऊस के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार यू0पी0 73 एल 0859 को मय अवैध गांजा के 04 अभियुक्तों के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गहन पूछताछ पर गिरफ्तार अभियुक्त शिवबोध मिश्रा उर्फ शिबू पुत्र श्याम उपरोक्त ने बताया कि मैं सूरजपाल सोनी पुत्र महावीर के साथ मध्य प्रदेश से लाला मिश्रा से गांजा खरीदते हैं, कई बार लाला मिश्रा पिकप या डी0सी0एम0 से गांजा देने के लिए मेरे साथ यू0पी0 झलवा, प्रयागराज तक आता था। इस बार हम

दोनों ने लाला मिश्रा से 02 कुन्तल गांजा लिया था, जिसमें से मैं 30 किलो गांजा रवि प्रजापति निवासी गौसपुर कटुहला थाना पिपरी को बेंच चुका हूँ, जिसे लेकर वह जा चुका है तथा 15–15 किलो गांजा संजय केशरवानी, विजय केशरवानी को बेच रहा था तभी आप लोगों ने मुझे मय गांजा के थाना महेवाघाट शॉहपुर पावर हाऊस के पास से गिरफ्तार किया। इसी क्रम में सूरजपाल सोनी पुत्र महावीर उपरोक्त ने पूछताछ में शिवबोध मिश्रा उर्फ शिबू के बयानों का समर्थन किया एवं बताया कि हम अन्तर्राज्यीय स्तर पर गांजा की खरीद–फरोख्त करते हैं एवं लाला मिश्रा जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उड़ीसा राज्य से यह गांजा बड़ी मात्रा में लाता है। हम लोग एक मुस्त पैसा इकठ्ठा कर लाला मिश्रा को देकर गांजा ले लेते हैं। हमारे साथ गिरफ्तार अन्य दो व्यक्ति 1. विजय केशरवानी पुत्र मेवालाल, 2. संजय केशरवानी पुत्र मेवालाल भी हमारे ग्रुप के सक्रिय सदस्य है। पैसा इकठ्ठा करने में एवं गांजा की बिक्री में उपरोक्त दोनों की हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विजय केशरवानी एवं संजय केशरवानी ने उपरोक्त तथ्यों का अपने बयानों में समर्थन किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के अपराधिक इतिहास ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी में मु0अ0सं0 177/2020 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही थाना महेवाघाट द्वारा की जा रही है।

➢ **गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–**

1. प्रभारी निरीक्षक महेवाघाट श्री कृष्ण प्रताप सिंह
2. उ0नि0 श्री संजय गुप्ता, स्वॉट टीम प्रभारी/इन्टेलीजेन्स विंग
3. हे0कां0 जय सिंह थाना महेवाघाट
4. कां0 सुरेन्द्र सिंह, सर्विलान्स सेल
5. कां0 मनोज कुमार यादव, इन्टेलीजेन्स विंग
6. कां0 सरताज अहमद, इन्टेलीजेन्स विंग
7. कां0 जियाउद्दीन खॉ, इन्टेलीजेन्स विंग
8. कां0 मनीष कुमार, इन्टेलीजेन्स विंग
9. कां0 अभय कुमार, इन्टेलीजेन्स विंग
10. कां0 जयन्त
11. आरक्षी चालक सुरेश
12. आरक्षी चालक रामआसरे, थाना महेवाघाट

नकली सेनेटाईजर बनाने वाले फैक्ट्री का खुलासा

थाना पिपरी - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना पिपरी पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त श्रेयस कुमार पुत्र नरेश केशरवानी नि0 49/34 जयन्तीपुर थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज को 37 ली0 अवैध सेनेटाईजर व सेनेटाईजर बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 368/20 धारा 419/269 भा0द0वि0 व 60 अबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुये 06 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

थाना स0 अकिल - श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में थाना स0 अकिल पुलिस द्वारा 06 नफर अभियुक्तों 1. सुदामा पुत्र भइया लाल 2. सद्दाम पुत्र जुमइ 3. मिराज पुत्र मल्लू 4. सहबाज पुत्र अंसार अहमद 5. अफजल उर्फ शेरू पुत्र चुन्ने 6. नईस पुत्र नफीस निवासीगण फकीराबाद थाना स0 अकिल जनपद कौशाम्बी को जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 52 तास के पत्ते व 860 रू0 मालफड तथा जमातलासी के दौरान 540 रू0 बरामद मु0अ0सं0 568/20 धारा 13 जूआ अधि0 पंजीकृत किया गया।

जनपद मे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत चेकिंग के दौरान की गई कार्यवाही

जनपद मे लाकडाउन के दृष्टिगत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर विभिन्न थानों द्वारा अनावश्यक रुप से बाहर घूमने/ मास्क न लगाने एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन न करने वालों के विरुद्ध 50 बैरियर/नाकों एवं थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन चेकिंग की गई, चेकिंग के दौरान दो-पहिया/चार पहिया वाहनों को चेक किया गया, जिनमें 121 वाहनों का eचालान किया गया एवं 20 वाहनों का चालान कर 7750 रु0 सम्मन शुल्क वसूला गया_साथ ही **बिना मास्क लगाये घूमने एवं सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का उल्लघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 94 व्यक्तियों से 11250 रुपये जुर्माना वसूला गया।**

निरोधात्मक कार्यवाही मे 26 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी श्री अभिनन्दन के कुशल निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान में साधारण मारपीट व शांति भंग करने के आरोप में (थाना मंझनपुर से 11, थाना करारी से 02, थाना प0 शरीरा से 01, थाना कौशाम्बी से 03, थाना पूरामुफ्ती से 03, थाना सैनी से 06,) कुल 26 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया।